

प्रेस नोट

थाना बिलसण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी रिजवान उर्फ पैदा किया गिरफ्तार।

थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत के मु0अ0सं0 153/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 10,000 रुपये का नामित इनामी अभियुक्त रिजवान उर्फ पैदा पुत्र स्व0 बहार अहमद नि0 ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को थाना बिलसण्डा पुलिस द्वारा आज दिनांक 05-09-2020 को ईटगाँव बस स्टैण्ड से समय करीब 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस पर गौवध अधिनियम के लगभग दर्जन भर मुकदमा पंजीकृत हैं। जिसका आपराधिक इतिहास निम्नलिखित है।

आपराधिक इतिहास अभि0 रिजवान उर्फ पैदा पुत्र स्व0 बहार अहमद नि0 तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
1	281/16	3/5/8 गौवध अधि0	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
2	531/18	3/5/8 गौवध अधि0	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
3	535/18	307/34 भादवि0	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
4	96/19	3/5/8 गौवध अधि0	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
5	123/19	3/5/8 गौवध अधि0	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
6	159/19	3/5/8 गौवध अधि0	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
7	191/19	4/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
8	77/19	3/5/8 गौवध अधि0	निगोही जनपद शाहजहाँपुर
9	367/19	3/25 आर्म्स एक्ट	निगोही जनपद शाहजहाँपुर
10	153/20	2/3 गैंगस्टर एक्ट	बिलसण्डा जनपद पीलीभीत

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- प्र0नि0 श्री विरजाराम
- 2- वरि0उ0नि0 श्री गौरव विश्नोई
- 3- हे0का0 289 दिलीप सिंह
- 4- का0 571 राजेश कुमार